रसायन और उर्वरक मंत्रालय
मांग संख्या 6
उर्वरक विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	254841.43	...	254841.43	179125.79	2.69	179128.48	192476.60	2.69	192479.29	168127.20	3.61	168130.81
वसूलियां	*-3472.25*	...	*-3472.25*	*-3980.00*	...	*-3980.00*	*-3532.00*	...	*-3532.00*	*-3980.00*	...	*-3980.00*
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**251369.18**	**...**	**251369.18**	**175145.79**	**2.69**	**175148.48**	**188944.60**	**2.69**	**188947.29**	**164147.20**	**3.61**	**164150.81**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	37.42	...	37.42	42.51	2.44	44.95	43.29	2.44	45.73	44.88	3.36	48.24
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
2. यूरिया सब्सिडी												
2.01 देशी यूरिया के लिए भुगतान	125270.09	...	125270.09	104063.18	...	104063.18	102121.00	...	102121.00	100340.00	...	100340.00
2.02 यूरिया के आयात के लिए भुगतान	43406.61	...	43406.61	31000.00	...	31000.00	30000.00	...	30000.00	22634.00	...	22634.00
2.03 उर्वरक सब्सिडी में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण	3.96	...	3.96	16.74	0.20	16.94	4.80	0.20	5.00	5.80	0.20	6.00
2.04 वसूली	-3463.53	...	-3463.53	-3980.00	...	-3980.00	-3532.00	...	-3532.00	-3980.00	...	-3980.00
निवल	*165217.13*	...	*165217.13*	*131099.92*	*0.20*	*131100.12*	*128593.80*	*0.20*	*128594.00*	*118999.80*	*0.20*	*119000.00*
3. पोषक तत्व आधारित सब्सिडी												
3.01 स्वदेशी पी और के उर्वरकों के लिए भुगतान	50089.67	...	50089.67	25500.00	...	25500.00	32370.00	...	32370.00	26500.00	...	26500.00
3.02 आयातित पी और के उर्वरकों के लिए भुगतान	36032.56	...	36032.56	18500.00	...	18500.00	27930.00	...	27930.00	18500.00	...	18500.00
जोड़- पोषक तत्व आधारित सब्सिडी	*86122.23*	...	*86122.23*	*44000.00*	...	*44000.00*	*60300.00*	...	*60300.00*	*45000.00*	...	*45000.00*
4. भारत में वाणिज्यिक पोत ध्वजांकन संवर्द्धन स्कीम	1.12	...	1.12	3.25	...	3.25	1.50	...	1.50	2.50	...	2.50
5. जैविक उर्वरक संवर्धन नीति	...	...	...	...	...	...	6.00	...	6.00	100.00	...	100.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	**251340.48**	**...**	**251340.48**	**175103.17**	**0.20**	**175103.37**	**188901.30**	**0.20**	**188901.50**	**164102.30**	**0.20**	**164102.50**
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
6. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता	...	...	...	0.01	0.05	0.06	0.01	0.05	0.06	0.01	0.05	0.06
अन्य												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
7. अनुसंधान एवं विकास	...	...	...	0.10	...	0.10	...	...	...	0.01	...	0.01
8. वसूली	-8.72	...	-8.72	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	**-8.72**	**...**	**-8.72**	**0.10**	**...**	**0.10**	**...**	**...**	**...**	**0.01**	**...**	**0.01**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	**-8.72**	**...**	**-8.72**	**0.11**	**0.05**	**0.16**	**0.01**	**0.05**	**0.06**	**0.02**	**0.05**	**0.07**
कुल जोड़	***251369.18***	***...***	***251369.18***	***175145.79***	***2.69***	***175148.48***	***188944.60***	***2.69***	***188947.29***	***164147.20***	***3.61***	***164150.81***
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. कृषि कार्य	86113.57	...	86113.57	44000.00	...	44000.00	60300.00	...	60300.00	45000.00	...	45000.00
2. उद्योग	165218.25	...	165218.25	131103.27	...	131103.27	128601.30	...	128601.30	119102.31	...	119102.31
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	37.36	...	37.36	42.51	...	42.51	43.29	...	43.29	44.88	...	44.88
4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
5. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	2.64	2.64	...	2.64	2.64	...	3.56	3.56
6. उर्वरक उद्योगों के लिए ऋण	...	...	...	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**251369.18**	**...**	**251369.18**	**175145.79**	**2.69**	**175148.48**	**188944.60**	**2.69**	**188947.29**	**164147.20**	**3.61**	**164150.81**
कुल जोड़	**251369.18**	**...**	**251369.18**	**175145.79**	**2.69**	**175148.48**	**188944.60**	**2.69**	**188947.29**	**164147.20**	**3.61**	**164150.81**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड	...	...	...	...	57.81	57.81	...	...	...	...	...	...
2. राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड	...	303.34	303.34	...	403.39	403.39	...	485.02	485.02	...	480.97	480.97
3. ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड	...	59.10	59.10	...	82.49	82.49	...	51.50	51.50	...	26.07	26.07
4. राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड	...	201.59	201.59	...	641.16	641.16	...	508.04	508.04	...	672.17	672.17
5. एफएसीटी	...	118.75	118.75	...	...	...	...	278.00	278.00	...	303.25	303.25
6. एफएजीएमआईएल	...	20.21	20.21	...	...	...	...	15.60	15.60	...	112.00	112.00
7. एमएफएल	...	42.65	42.65	...	...	...	...	78.63	78.63	...	133.10	133.10
8. प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड	...	...	...	...	5.01	5.01	...	...	...	...	...	...
जोड़	**...**	**745.64**	**745.64**	**...**	**1189.86**	**1189.86**	**...**	**1416.79**	**1416.79**	**...**	**1727.56**	**1727.56**

1. **सचिवालय:** विभाग के सचिवालय के व्यय हेतु प्रावधान।

2.01. **देशी यूरिया के लिए भुगतान:** यह प्रावधान यूरिया के उत्पादन हेतु ढुलाई सब्सिडी सहित उर्वरक नई मूल्य निर्धारण स्कीम (एनपीएस) के अंतर्गत सब्सिडी से संबंधित हैं। यह सब्सिडी स्कीम किसानों को उचित कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराने और उर्वरक उत्पादकों को उनके निवेश पर उचित प्रतिलाभ दिलाने के लिए अभिप्रेत है। वितरण लाभ (मार्जिन) को घटाकर यथानिर्धारित रियायती मूल्य और वैधानिक रूप से नियंत्रित उपभोक्ता मूल्य के बीच के अंतर को सब्सिडी के रूप में अनुमत किया जाता है। सब्सिडी की राशि रियायती मूल्य, उपभोक्ता मूल्य और उत्पादन के स्तर पर निर्भर करती है।

2.02. **यूरिया के आयात के लिए भुगतान:** चूंकि उर्वरकों की मांग पूरी करने हेतु स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त नहीं है, इसलिए कमी को पूरा किए जाने हेतु आयात की व्यवस्था की जाती है। शामिल लागत में विस्तृत रूप से आयातित उर्वरकों का मूल्य तथा उर्वरकों के प्रबंधन और वितरण की लागत होती है। किसानों को आयातित उर्वरकों का विक्रय मूल्य उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत विनियमित होता है तथा इस प्रकार उपभोक्ता मूल्य सांविधिक रूप से विनियमित होते हैं। यह विक्रय मूल्य स्वदेशी उत्पादन के विक्रय मूल्य के समान है। उर्वरकों की किसानों को की गई बिक्री से प्राप्त धनराशि और सरकार की आयात लागत के बीच का अंतर आयातित उर्वरक पर सब्सिडी का द्योतक है।

2.03. **उर्वरक सब्सिडी में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण:** यह प्रावधान ऑनलाइन बिलों पर सब्सिडी के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए है।

3.01. **स्वदेशी पी और के उर्वरकों के लिए भुगतान:** किसानों के लिए रियायती दर पर विनियंत्रित फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों की बिक्री पर पोषकतत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) स्कीम के तहत उर्वरक विनिर्माताओं/एजेंसियों को भुगतान का प्रावधान। इस रियायत से बेहतर मृदा स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए उर्वरक एनपीके पोषकतत्वों का संतुलित उपयोग हो सकेगा।

3.02. **आयातित पी और के उर्वरकों के लिए भुगतान:** किसानों को रियायती दर पर विनियंत्रित फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों की बिक्री पर पोषकतत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) स्कीम के तहत उर्वरकों के आयातकों/एजेंसियों को भुगतान का प्रावधान। रियायत से बेहतर मृदा स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए उर्वरक एनपीके पोषकतत्वों का संतुलित उपयोग हो सकेगा।

4. **भारत में वाणिज्यिक पोत ध्वजांकन संवर्द्धन स्कीम:** आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को हासिल करने के लिए 14 जुलाई, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय में सरकारी कार्गो के आयात के लिए मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा आमंत्रित वैश्विक निविदाओं में भारतीय पोत परिवहन कंपनियों को सब्सिडी के रूप में पांच वर्षों की अवधि में 1624 करोड़ रुपए प्रदान करने के लिए एक योजना का अनुमोदन किया है।

5. **जैविक फर्टीलाइजर संवर्धन नीति:** बजट घोषणा 2023-24 के अनुपालन में, जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने और गोबरधन पहल के रूप में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास सहायता (एमडीए) की एक नई योजना शुरू की गई है।

6. **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता:** यह प्रावधान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता प्रदान करने के लिए है।

7. **अनुसंधान एवं विकास:** यह प्रावधान अनुसंधान एवं विकास के लिए है। रुपये 0.01 करोड़ का प्रावधान. आईसीएफएफटीआर के लिए किया गया है।